

तारीख
हुक्म

5/10
2021

पत्रावली पेश हुई प्रशासन गाँवों के संग 18 अक्टूबर
केसप भागान, पुनः अपाकी गण के सम्बन्ध वाद
लागिल होकर प्राप्त हुये जिले शामिल पत्रावली
लिखे गये, पत्रावली चरवाहा दलका द्वारा रिपोर्ट पेश
हुई जिले शामिल पत्रावली लिख गये, पत्रावली का
प्रकार-पत्र स्वीकार लिख जाकर निर्णय पत्रक में
लिखा जाकर शामिल पत्रावली लिख गये, पत्रावली
केसल शुभार होकर सम्बन्ध के लिये।

डॉ. पूजा सकसेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या : 197/19 प्र. पत्र
1- श्री गौरी लाल शं. गौड़

1- श्रीमती माधुली शं. भंवरलाल चौहाण निवासी बाटानगर तह मांडल --प्राथी

बनाम
1- श्रीमती माधुली शं. भंवरलाल चौहाण निवासी बाटानगर तह मांडल (सर्वे)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

--विपक्षीगण
(सिद्धान्त 9) पत्र (सर्वे)

::आदेश::

दिनांक 25-10-21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि ग्राम बाटानगर पटवार हल्का भू.रा.रा.पु.रा. तहसील मांडल/में उसके
खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 3460 कुल किता 0.1
रकबा 02 बीघा हेक्टर 05 गिन्ना स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी
मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते
/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 3-12-19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण का
अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा
नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बाटानगर
पटवार हल्का भू.रा.रा.पु.रा. तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 3460
कुल किता 0.1 रकबा 02 बीघा हेक्टर 05 गिन्ना

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।
पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक भू.रा.रा.पु.रा. को 400/-
रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें।
कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर तहसीलदार को लेख देना 2021
जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला भीलवाड़ा
प्रशासन भवन के तहत जमान 2021